न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 11/2010

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
मिश्रीमल पुत्र रेवाशंकर कौम श्रीमाली ब्राहम्ण निवासी माण्डवला तहसील व जिला जालोर	1	गवरीशंकर पुत्र रेवाशंकर जाति श्रीमाली ब्राहम्ण निवासी माण्डवला तहसील व जिला जालोर
	2	नटवरलाल पुत्र रेवाशंकर जाति श्रीमाली ब्राहम्ण निवासी माण्डवला तहसील व जिला जालोर
	3	स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री मधुसूदन व्यास, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः– 9.4.2018

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 23/1977 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.07.1983 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस में निवेदन किया कि ग्राम माण्डवला के पुराने खसरा नम्बर 488 में से रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा की भूमि पूर्व जागीरदास माण्डवला श्री मोडसिंह द्वारा जुबानी बेचाननामा दिनांक 01.01.1949 को अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता रेवाशंकर जी को बएवज रूपये 401/– में बेचान की थी। रेवाशंकर जी के तीन पुत्र थे, जो अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 परिवार में सबसे बडा एवं कर्ता खानदान था। उक्त भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता रेवाशंकर की होने से उक्त भूमि में उनका 1/3 – 1/3 हिस्सा निहित है। इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को पक्षकार संयोजित करते हुए विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील निर्णय पारित करवाया एवं जैर अपील वादस्थ भूमि का स्वयं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

को खातेदार काश्तकार घोषित करवाया, जबकि उक्त भूमि में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का भी समान रूप से हक हिस्सा निहित था। इसके अतिरिक्त जिस समय आदेश पारित किया गया, उस समय उक्त भूमि गै0मु0 गोचर के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन नियमन तथा खातेदारी अधिकार प्रदान करने से प्रतिबन्धित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जो तनकीयात कायम की गई, उनका विनिश्चिय भी विधि विरूद्ध तरीके से किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा, उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुतोष से आगे जाकर खातेदारी घोषित कर दी, जो विधि विरूद्ध है। वाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बतौर वादी प्रस्तुत किया तथा जो तनकीयात कायम हुई, उनमें वादी के जिम्मे एक भी तनकी का भार नहीं डाला गया। इस कारण जैर अपील निर्णय एवं डिक्री विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी होने के कारण अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का भी उक्त भूमि में बराबर का हक हिस्सा निहित है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए सम्पूर्ण भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा मनगढन्त तथ्यों के आधार पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की है तथा यह अपील पूर्णतः मियाद बाहर प्रस्तुत की है, जो खारिज योग्य है। जैर अपील निर्णय दिनांक 28.07.1983 में पारित हुआ है, जबकि अपील वर्ष 2010 में प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त प्रथमतः तो अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं है। अपीलाण्ट एक तरफ तो यह कथन करते हैं कि उक्त भूमि में हमारा भी हक हिस्सा है तथा दूसरी तरफ यह कथन करते है कि उक्त भूमि कि किस्म गै0मु0 गोचर थी, अतः खातेदारी निरस्त की जावे। अपीलाण्ट द्वारा परस्पर विरोधाभाषी कथनों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है, जो खारिज योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा धारा 96 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र में जो आधार लिए है, वे मानने योग्य नहीं है, जिसके आधार पर अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। वास्तविकता यह है कि दिनांक 29.6.1980 को पारिवारिक समझौता हुआ, उसमें यह भूमि गवरीशंकर के पक्ष में रखी गई, चूंकि उस समय राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि सरकारी दर्ज थी, इस कारण उक्त मुकद्दमा भी गवरी शंकर द्वारा लडा गया। पारिवारिक समझौत पर समस्त भाईयों एवं रिश्तेदारों के हस्ताक्षर है। जिसके अनुसार माण्डवला का मकान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हिस्से में आया, जिसे इन्होने बेच दिया। वर्ष 2008 में अपीलाण्ट द्वारा एक प्लोट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 2,85,000/– में बेचान करना तय किया, बाद में उस प्लोट को दो टुकडो में बेचान करने का इकरार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पुत्रों के साथ किया तथा उनसे भी एक लाख रूपये लिए। इस बात को लेकर विवाद हुआ एवं धोखाधडी के प्रकरण में अपीलाण्ट जेल भी गया। इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तथ्य को लेकर अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की है, जो बलहीन है। अपीलाण्ट को उक्त प्रकरण की पूर्ण जानकारी है, क्योंकि अपीलाण्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के साथ हर पेशी पर न्यायालय में आता जाता रहता था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधि अनुसार तनकीयात कायम की है तथा उक्त भूमि वक्त दावा सरकारी होने के कारण मात्र तहसीलदार को ही पक्षकार बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मुख्य परीक्षण में परीक्षित हुए गवाहों के बयानों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजात् का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के विरूद्ध दावा बाबत हुक्म इम्तनाई दवामी का प्रस्तुत किया, जिसमें यह कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट के पिता रेवाशंकर द्वारा तत्कालीन जागीरदार से बएवज रूपये 401 में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था, जिसका पट्टा भी तत्कालीन जागीरदार द्वारा वादी के पिता के पक्ष में बनाया था। वक्त खरीद से उक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है। जागीर पुर्नग्रहण होने पर उक्त भूमि गोचर के रूप में दर्ज की जा चुकी है, जबकि उक्त भूमि का उपयोग गोचर के रूप में नहीं हो रहा है। मौके पर कब्जा काश्त वादी का है, जिसमें प्रतिवादी दखल अन्दाजी कारित करते है, जिसे रूकवाने का अनुतोष चाहा। इस पर प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर वाद खारिज कराने का निवेदन किया। इसके पश्चात उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में दो तनकीयात कायम की गई तथा साक्ष्य ली गई। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण का परीक्षण करते हुए वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान किए एवं वाद बहक वादी डिक्री किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित करने में जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि जैर अपील निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.07.1983 को पारित की गई तथा उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील दिनांक 01.04.2010 को प्रस्तुत की है, जो अन्दर मियाद शुमार योग्य है अथवा नहीं ? यह सम्बन्ध में अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किए है, उनके अनुसार निर्णय की जानकारी दिनांक 25.01.2010 को होने के पश्चात जानकारी की दिनांक से अपील को अन्दर मियाद शुमार कराने का निवेदन किया। अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किए, उन तथ्यों को साबित करने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। इस सम्बन्ध में आर0एल0डब्ल्यु 1951 पेज 303 नौरतनमल बनाम हरिसिंह में प्रतिपादित किया कि "Limitation Act. S. 5--Delay in filing appeal--Each day's delay after due date must be satisfactorily explained. It is the duty of an applicant, praying for indulgence under s 5 to explain each day's delay satisfactorily and if he fail to do so he cannot get the benefit of s. 5" इसी प्रकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आर0आर0डी0 1970 पेज 542 आर्य समाज शिक्षण संस्था, अजमेर बनाम श्री आदित्य नारायण में प्रतिपादित किया कि "Each day's delay from expiry of limitation held, not explained in compliance of provision of Sec. 5 - Collector acted illegally and with material irregularity in condoning delay on unwarranted and unjustified grounds--Discretion to condone delay to be exercised judicially -- Sufficient reason explaining each day's delay must exist before exercise of such a discretion" आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 939 डी0 गोपीनाथ पिल्लई बनाम स्टेट ऑफ केरल में यह प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा –विलम्ब का उपशमन– अपील पेश करने में 3320 दिन का असाधारण विलम्ब– उचित रूप से एवं सन्तोषप्रद ढंग से विलम्ब स्पष्ट नही किया – सहानुभूति आधारों पर न्यायालय विलम्ब उपशमन नही कर सकता – असाधारण विलम्ब उपशमन हेतु कारण नही दिये गये – निर्णीत, आदेश संहवनीय नही है व अपास्त किया।" इसी प्रकार आर0आर0टी0 2007 (1) पेज 18 सत्तार खान व अन्य बनाम ब्रजलाल में यह प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963 – विलम्ब का माफ करना – राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील पेश करने में 23 वर्ष का अप्रत्याशित विलम्ब – रेस्पोडेन्ट 'बी' पंचायत का प्रधान था और आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य था – आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष उसने आपत्ति नही उठायी – आवेदन में बताये कारण न्यायसंगत नही कहे जा सकते – निर्णीत परिसीमा के बिन्दु पर ही अपील खारिज होने योग्य थी।" इसी प्रकार के तथ्य आर0आर0डी0 1984 पेज 261 अमराराम बनाम बृजलाल में भी प्रतिपादित किये गये है। हस्तगत प्रकरण पर उपरोक्त न्याय सिद्धान्त पूर्ण रूप से चस्पा होते है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के अन्तर्गत ऐसा कोई कारण दर्शित नही किया गया है, जिससे देरी को कण्डोन किया जा सके। इस कारण अपील परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रावधानों से बाधित होने के कारण सुनवाई योग्य नही है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत अवधि बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है, जिसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलेक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 23/1977 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.07.1983 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 9.4.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली